

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ
(दं० प्र० सं० 144 के तहत वाद सं०-157/2022)

संतोष कुमार वर्मा

-बनाम्-

नुमन महतो वगैरह

आदेश

02.08.22 थाना प्रमारी, हिरोडीह के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।
पक्षकारों की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व वाद कालबाधित एवं समाप्त हो गया।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ